FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ...सिवाना ....

वादी / वादीगण **बनाम**	प्रतिवादी / प्रतिवादीगण
पहाड़सिंह पुत्र खीमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिवाना तहसील सिवाना	1. खीमसिंह पुत्र लखसिंह जाति राजपूत निवासी अर्जियाणा तहसील सिवाना 2 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

किस्म मुकदमा......धारा 88,188 RT Act. मु0नं0 45/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.06.2023	वादी पहाड़सिंह की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री गणपतसिंह द्वारा प्रतिवादीगण खीमसिंह वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act. के तहत प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 17.07.2023 को पेश हो। (दिनेश बिश्नोई) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	
09.06.23	वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में दोनो पक्षो के मध्य आपस में सुलह हो चुकी है। अत: वे वाद की कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहते है तथा वाद जरिये डिक्री खारिज करवाना चाहते है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि वादी वकील वाद की कार्यवाही जारी रखने के इच्छुक नहीं है। लिहाजा [illegible] स्तर पर जरिये डिक्री [illegible] किया जाता है। आदेश [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:58:00 IST
Reason: SelfAttested